

इसे वेबसाईट www.govtpressmp.nic.in
से भी डाउन लोड किया जा सकता है.



मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 137]

भोपाल, मंगलवार, दिनांक 31 मार्च 2015—चैत्र 10, शक 1937

वाणिज्यिक कर विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 31 मार्च 2015

क्र. एफ-ए-3-13-2015-1-पांच (15).—मध्यप्रदेश स्थानीय क्षेत्र में माल के प्रवेश पर कर अधिनियम, 1976 (क्रमांक 52 सन् 1976) की धारा 4-क की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्वारा,—

(एक) नीचे दी गई अनुसूची के कॉलम (1) में वर्णित स्थानीय क्षेत्रों को; और

(दो) उक्त अनुसूची के कॉलम (2) में वर्णित ऐसे मालों को, जिनका कि उक्त स्थानीय क्षेत्र में उपयोग या उपभोग किया जाता है, विनिर्दिष्ट करती है, और यह निर्देश देती है कि किसी व्यापारी द्वारा इस अधिनियम के अधीन देय प्रवेश कर उक्त माल के मूल्य पर, उक्त अनुसूची के कॉलम (3) में विनिर्दिष्ट दर से प्रभारित किया जाएगा., अर्थात् :—

अनुसूची

स्थानीय क्षेत्र (1)	माल (2)	कर की दर (3)
मध्यप्रदेश राज्य में के समस्त स्थानीय क्षेत्र.	प्राकृतिक गैस कम्प्रेस्ट प्राकृतिक गैस को सम्मिलित करते हुए.	10 प्रतिशत

2. यह अधिसूचना 1 अप्रैल, 2015 से प्रवृत्त होगी.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
रवीन्द्र कुमार चौधरी, उपसचिव.

भोपाल, दिनांक 31 मार्च 2015

क्र. एफ-ए-3-13-2015-1-पांच (15).—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-ए-3-13-2015-1-पांच (15), दिनांक 31 मार्च 2015 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
रवीन्द्र कुमार चौधरी, उपसचिव.

Bhopal, the 31st March 2015

No. F-A-3-13-2015-1-V-(15).—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 4-A of the Madhya Pradesh Sthaniya Kshetra Me Mal Ke Pravesh Par Kar Adhinyam, 1976 (No. 52 of 1976), the State Government, hereby, specifies.—

(i) local areas mentioned in column (1) of the Schedule below; and

(ii) the goods mentioned in column (2) of the said Schedule which are used or consumed in the said local areas and directs that the entry tax payable by a dealer under this Act shall be charged on the value of the said goods at the rate specified in column (3) of the said Schedule, namely:—

SCHEDULE

Local Area (1)	Goods (2)	Rate of Tax (3)
All local areas in the State of Madhya Pradesh.	Natural Gas including compressed natural gas.	10 Percent

2. This notification shall come into force from 1st April, 2015.

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh,
RAVINDRA KUMAR CHOUDHARY, Dy. Secy.

भोपाल, दिनांक 31 मार्च 2015

क्र. एफ-ए-3-13-2015-1-पांच (16).—मध्यप्रदेश स्थानीय क्षेत्र में माल के प्रवेश पर कर अधिनियम, 1976 (क्रमांक 52 सन् 1976) की धारा 10 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्वारा, नीचे दी गई अनुसूची के कॉलम (1) में विनिर्दिष्ट व्यापारियों के वर्ग को, उक्त अनुसूची के कॉलम (2) में विनिर्दिष्ट माल के वर्ग के संबंध में इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक ए-3-13-2015-1-पांच(15), दिनांक 31 मार्च, 2015 के अधीन देय प्रवेश कर के भुगतान से, कॉलम (3) में विनिर्दिष्ट सीमा तक, उक्त अनुसूची के कॉलम (4) में विनिर्दिष्ट निर्बंधनों तथा शर्तों के अधधीन रहते हुए छूट प्रदान करती है, अर्थात् :—

अनुसूची

व्यापारियों का वर्ग (1)	माल का वर्ग (2)	छूट की सीमा (3)	निर्बंधन तथा शर्तें, जिनके अधधीन छूट प्रदान की गयी है (4)
मध्यप्रदेश वेट अधिनियम, 2002 (क्रमांक 20 सन् 2002) के अधीन रजिस्ट्रीकृत व्यापारी.	प्राकृतिक गैस कम्प्रेस्ड प्राकृतिक गैस को सम्मिलित करते हुए.	अंशतः इस प्रकार कि कर की दर घटकर 1 प्रतिशत हो जाए.	उस व्यापारी को यह छूट उपलब्ध होगी जिसने कॉलम (2) में विनिर्दिष्ट माल का प्रवेश मध्यप्रदेश राज्य के भीतर किसी रजिस्ट्रीकृत व्यापारी से क्रय करके कराया हो.

2. यह अधिसूचना 1 अप्रैल, 2015 से प्रवृत्त होगी.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
रवीन्द्र कुमार चौधरी, उपसचिव.

भोपाल, दिनांक 31 मार्च 2015

क्र. एफ-ए-3-13-2015-1-पांच (16).—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-ए-3-13-2015-1-पांच (16), दिनांक 31 मार्च 2015 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
रवीन्द्र कुमार चौधरी, उपसचिव.

Bhopal, the 31st March 2015

No. F-A-3-13-2015-1-V-(16).—In exercise of the powers conferred by Section 10 of the Madhya Pradesh Sthaniya Kshetra Me Mal Ke Pravesh Par Kar Adhiniyam, 1976 (No. 52 of 1976), the State Government, hereby, exempts the class of dealers specified in column (1) of the Schedule below from payment of entry tax under the department's Notification No. A-3-13-2015-1-IV(15), dated 31st March 2015 in respect of the class of goods specified in column (2) the extent specified in column (3), subject to the restrictions and condition specified in column (4) of the said Schedule, namely:—

SCHEDULE

Class of Dealers (1)	Class of Goods (2)	Extent of exemption (3)	Restrictions and conditions subject to which exemption is granted (4)
Dealers registered under the Madhya Pradesh Vat Act, 2002 (No. 20 of 2002)	Natural gas including compressed Natural gas	Partly so as to reduce the rate of tax to 1%	The exception shall be available to the dealer who effects the entry of the goods specified in column (2) by way of purchase from a registered dealer from inside the State of Madhya Pradesh.

2. This notification shall come into force from 1st April 2015.

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh,
RAVINDRA KUMAR CHOUDHARY, Dy. Secy.

भोपाल, दिनांक 31 मार्च 2015

क्र. एफ ए-3-13-2015-1-पांच(17).—मध्यप्रदेश विलासिता, मनोरंजन, आमोद एवं विज्ञापन कर अधिनियम, 2011 (क्रमांक 11 सन् 2011) की धारा 11 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए और इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-ए-33-13-2011-1-पांच (8), दिनांक 31 मार्च, 2012 तथा क्रमांक एफ-ए-3-13-2011-1-पांच (8), दिनांक 26 मार्च, 2013 को अतिष्ठित करते हुए, राज्य सरकार, एतद्वारा नीचे दी गई अनुसूची के कॉलम (1) में विनिर्दिष्ट स्वामियों के वर्ग को, कॉलम (2) में विनिर्दिष्ट सीमा तक तथा उक्त अनुसूची के कॉलम (3) में विनिर्दिष्ट निर्बन्धनों तथा शर्तों के अधधीन रहते हुए अधिनियम के अधीन कर के भुगतान से छूट प्रदान करती है, अर्थात् :—

अनुसूची

स्वामियों का वर्ग (1)	छूट की सीमा (2)	निर्बन्धन तथा शर्तें, जिनके अधधीन छूट प्रदान की गई है (3)
अधिनियम के अधीन रजिस्ट्रीकृत स्वामी	अंशतः इस प्रकार की अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (1) के खण्ड (ख) के उप खण्ड (तीन) के अधीन कर की दर घटकर शून्य प्रतिशत हो जाए.	यह छूट निम्नलिखित में उपलब्ध कराए जा रहे मनोरंजन के संबंध में उपलब्ध रहेगी — (क) सिनेमाघर, जिसका संचालन 1 अप्रैल, 2006 के पूर्व प्रारंभ हुआ है तथा जो वातानुकूलित नहीं है; (ख) वातानुकूलित सिनेमाघर, जिसका संचालन 1 अप्रैल, 2006 के पूर्व प्रारंभ हुआ है तथा जो किसी नगरपालिक निगम की सीमा के बाहर स्थित है, 2. ऐसे मनोरंजन में प्रवेश के लिए जिसकी दर प्रति सीट रुपए सौ तक है, धनीय प्रतिफल के संबंध में यह छूट उपलब्ध होगी. 3. एकल स्क्रीन सिनेमा घर में यह छूट उपलब्ध होगी

2. यह अधिसूचना 1 अप्रैल, 2015 से प्रवृत्त होगी.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
रवीन्द्र कुमार चौधरी, उपसचिव.

भोपाल, दिनांक 31 मार्च 2015

क्र. एफ-ए-3-13-2015-1-पांच (17).—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ ए-3-13-2015-1-पांच (17), दिनांक 31 मार्च 2015 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
रवीन्द्र कुमार चौधरी, उपसचिव.

Bhopal, the 31st March 2015

No. F-A-3-13-2015-1-V(17).—In exercise of the powers conferred by Section 11 of the Madhya Pradesh Vilasita, Manoranjan, Amod Evam Vigyapan Kar Adhiniyam, 2011 (No. 11 of 2011) (hereinafter referred to as the Act) and in supersession of this department's Notification No. F-A-33-13-2011-I-V(8), dated 31st March, 2012 and F-A-3-13-2011-1-V(8) dated 26th March, 2013, the State Government, hereby, exempts the class of proprietors specified in column (1) of the Schedule below from payment of tax under the Act to the extent specified in column (2) and subject to the restrictions and conditions specified in column (3) of the said Schedule, namely:—

SCHEDULE

Class of Proprietors (1)	Extent of exemption (2)	Restrictions and conditions subject to which exemption is granted (3)
Proprietors registered under the Act.	Partly so as to reduce the rate to zero percent under sub-clause (iii) of sub-section (1) of section 6 of the Act.	The exemption shall be available in respect of entertainment provided in— (a) a cinema hall, which has commenced operation prior to 1st April, 2006 and is not air-conditioned. (b) an air-conditioned cinema hall, which has commenced operation prior to 1st April, 2006 and is situated outside the limits of a Municipal Corporation. 2. The exemption shall be available in respect of the monetary consideration for admission to such entertainment, rate of which is upto rupees one hundred per seat. 3. The exemption shall be available in single screen cinema halls.

2. This notification shall come into force from 1st April 2015.

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh,
RAVINDRA KUMAR CHOUDHARY, Dy. Secy.

भोपाल, दिनांक 31 मार्च 2015

क्र. एफ ए-3-13-2015-1-पांच(18).—मध्यप्रदेश विलासिता, मनोरंजन, आमोद एवं विज्ञापन कर अधिनियम, 2011 (क्रमांक 11 सन् 2011) (जो इसमें इसके पश्चात् अधिनियम के नाम से निर्दिष्ट है) की धारा 11 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार एतद्वारा नीचे दी गई अनुसूची के कॉलम (1) में विनिर्दिष्ट स्वामियों के वर्ग को, उक्त अनुसूची के कॉलम (2) में विनिर्दिष्ट सीमा तक, कॉलम (3) में विनिर्दिष्ट निर्बन्धनों तथा शर्तों के अधीन उक्त अधिनियम के अधीन कर के भुगतान से छूट प्रदान करती है, अर्थात् :—

अनुसूची

स्वामियों का वर्ग (1)	छूट की सीमा (2)	निर्बन्धन तथा शर्तें, जिनके अधीन छूट प्रदान की गयी है (3)
अधिनियम के अधीन रजिस्ट्रीकृत स्वामी	अंशतः इस प्रकार की अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (1) के खण्ड (ख) के उपखण्ड (तीन) के अधीन कर की दर घटकर शून्य प्रतिशत हो जाए.	स्पोर्ट्स क्लब के द्वारा अपने नियमित सदस्यों हेतु आयोजित खेल गतिविधियों के संबंध में यह छूट उपलब्ध होगी.

2. इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-ए-3-1313-2011-1-पांच(6), दिनांक 26 मार्च, 2013 में, कॉलम (3) में, विद्यमान प्रविष्टियों के स्थान पर, निम्नलिखित प्रविष्टि स्थापित की जाए, अर्थात् :—

“किसी अम्यूजमेंट पार्क तथा किसी थीम पार्क की गतिविधियों के संबंध में छूट उपलब्ध रहेगी.”

3. यह अधिसूचना 1 अप्रैल, 2015 से प्रवृत्त होगी.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
रवीन्द्र कुमार चौधरी, उपसचिव.

भोपाल, दिनांक 31 मार्च 2015

क्र. एफ-ए-3-13-2015-1-पांच (18).—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ ए-3-13-2015-1-पांच (18), दिनांक 31 मार्च 2015 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
रवीन्द्र कुमार चौधरी, उपसचिव.

Bhopal, the 31st March 2015

No. F-A-3-13-2015-1-V-(18).—In exercise of the powers conferred by Section 11 of the Madhya Pradesh Vilasita, Manoranjan, Amod Evam Vigyapan Kar Adhiniyam, 2011 (No. 11 of 2011) (hereinafter referred to as the Act) and the State Government, hereby, exempts the class of proprietors specified in column (1) of the Schedule below from payment of tax under the Act to the extent specified in column (2) and subject to the restrictions and conditions specified in column (3) of the said Schedule, namely:—

SCHEDULE

Class of Proprietors (1)	Extent of exemption (2)	Restrictions and conditions subject to which exemption is granted (3)
Proprietors registered under the Act.	Partly so as to reduce the rate of tax to zero percent under sub-clause (ii) of clause (b) of sub-section (1) of section 6 of the Act.	The exemption shall be available in respect of the sports activities organized by a sports club for its regular members.

2. In this department's Notification No. F-A-3-1313-2011-1-V(6), dated 26th March, 2013, in column (3), for the existing entries, the following entry shall be substituted, namely:—

“The exemption shall be available in respect of the activities of an amusement park and theme park.”

3. This notification shall come into force from 1st April 2015.

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh,
RAVINDRA KUMAR CHOUDHARY, Dy. Secy.